11/21

अग्रिम प्रार्थिका के निवेदन पर पत्रावली बलनक होकर आज पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। जवाब पेश किया। सुन रहे।

प्रार्थिका का कथन है कि आराजियात जमाबंदी सम्बत् 2072-75 खाता सं. 225 व 207 वाके ग्राम मुण्डियाकलां तहसील योडा सिंह प्रार्थिका के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयत है। आराजियात खाता सं. 225 में प्रार्थिका का नाम मनभरदेवी दर्ज है जो सही है परन्तु खाता सं. 207 में मनभर के स्थान पर मनफूल दर्ज है जो गलत दर्ज किया है जो सुधार के मनफूल दर्ज कर दिया गया जो कानून गलत है। प्रार्थिका का नाम ~~का~~ उपरोक्त राजस्व रिकार्ड

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में फ

में मनफूल के स्थान पर मनभर देवी दुरुस्त फरमाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है प्रार्थिका के आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, आदि रिकार्ड में भी प्रार्थिका का वास्तविक नाम मनभर देवी ही दर्ज है इसलिए ग्राम मुण्डियाकला की हाल आयी खाता सं: 207 में प्रार्थिका का नाम मनफूल के स्थान पर मनभर देवी दुरुस्त करवाने की अधिकारी है अतः खाता सं: 207 में दर्ज आयी ख.नं: 2023/4 रकबा 0.13 है० वाले ग्राम मुण्डियाकलां में प्रार्थिका का नाम मनफूल से हटाकर मनभरदेवी दुरुस्त फरमाया जावे। प्रा०पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2015 वाले ग्राम मुंडियाकला खाता सं: 225, 207, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, निर्वाचन नामावली मुंडियाकलां, पेश किये

पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खसरा नम्बर 2023/4 रकबा 0.13 है० वाले ग्राम मुण्डियाकलां मनफूल w/o प्रहलाद जाति खरीक सा० देह के नाम दर्ज है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा विक्रय पत्र की प्रतियां साथ में संलग्न की है जिसके आधार पर पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट (जवाब) में अंकित किया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज हुई ही रिकार्ड में विक्रय पत्र अनुसार अंकन सही की प्रकरण दुरुस्ती योग्य नहीं है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थिका आयी खसरा नम्बर 2023/4 रकबा 0.13 है० वाले ग्राम मुण्डियाकलां दर्ज मनफूल w/o प्रहलाद के स्थान पर मनभर देवी दुरुस्त करवाना चाहती है आधारकार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, में मनभर दर्ज है जबकि रिपोर्ट पटवारी के साथ पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति में मनफूल पत्नी प्रहलाद दर्ज है। प्रार्थिका मनफूल से मनभर करवाना चाहती है लेकिन जब रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में ही मनफूल अंकित है तो मनफूल से मनभर किस आधार पर दुरुस्त हो सकता है। रिपोर्ट पटवारी व रिपोर्ट नायब तहसीलदार पेरोकार सरकार में भी तदनुसार दुरुस्ती नहीं किया जाना अंकित किया है इस प्रकार प्रकरण 136 भू०राजस्व अधिनियम की परिधि में नहीं आना पाये जाने पर खारिज योग्य है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिका संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खत्म हो। हुक्म आज दि० 11.1.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Pankaj